



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 11 मई, 2020
बैशाख 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 443/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(116)-2020
लखनऊ, 11 मई, 2020

अधिसूचना

प०आ०-118

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या क०नि०-2-159/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(107)-2018, दिनांक 31 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब शुल्क की रकम मार्च 2020, अप्रैल, 2020, और मई 2020 के महीनों और 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो उक्त अवधि के लिए देय तारीख तक, प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, किन्तु उन्होंने 30 जून, 2020 या उससे पहले उक्त ब्यौरे को प्ररूप जीएसटीआर-1 में दे दिए हैं।”

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 443/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(116)-2020, dated May 11, 2020:

No. 443/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(116)-2020

Dated Lucknow, May 11, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council hereby makes the following further amendment in the notification no. KA.NI.-2-159/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(107)-2018, dated January 31, 2018, namely :-

AMENDMENT

In the said notification, *after* the third proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the months of March, 2020, April, 2020 and May, 2020, and for the quarter ending 31st March, 2020, for the registered who fail to furnish the details of outward supplies for the said periods in **FORM GSTR-1** by the due date but furnishes the said details in **FORM GSTR-1**, on or before the 30th day of June, 2020."

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 68 राजपत्र-2020-(132)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 18 सा० राज्य कर-2020-(133)-3500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।